① Group Housing letter GDA

कार्यालय गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
(मानचित्र स्वीकृत पत्र)

मानचित्र संख्या 86 278/जी.एम.पी./जीएच/12-13 दिनांक 13/3/13

मैसर्स जेविन कन्स. प्रा.लि.
द्वारा श्री सुधीर कुमार रावत
90/3, मालवीय नगर,
नई दिल्ली।

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 10.09.12 के संदर्भ में आपके प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन की मौहल्ला / कालोनी / खसरा सं0 146 व 199 ग्राम मोरटी पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 11.01.2013 को स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की गयी है।

1- यह मानचित्र स्वीकृति से केवल पांच वर्ष तक वैध है।

2- मानचित्रों की इस स्वीकृत सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, (जी0डी0ए0) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है।

3- भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।

4- यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।

5- जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगी उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय / प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदार नहीं है।

6- दरवाजे व खिड़कियां इस तरह से लगाये जायेंगे कि सार्वजनिक सड़क की ओर न खुले।

7- बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अंदर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।

8- सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।

स्थल पर एक बोर्ड पर स्वत: स्वीकृत मानचित्र संख्या व दिनांक लिखना अनिवार्य होगा।

9- स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेशीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन में स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।

10- वह मानचित्र उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो वह शर्त भी मान्य होगी।

11- सड़क पर अथवा लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।

12- सुपरविजन एवं स्पेशीफिकेशन की नियम / शर्तो का पालन करना होगा।

13- पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 30.08.2012 का पालन करना होगा।

विद्युत नियमो के अनुसार सुरक्षित दूरी छोड़कर ही निर्माण कार्य किया जायेगा

14- पर्यावरण की दृष्टि से उ0प्र0 राज्य व नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम प्रति हेक्टेयर 50 पेड़ लगाना अनिवार्य है।

15- स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने के प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लायें।

16- भवनों में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना होगा तथा भविष्य में सुचारू रखना होगा।

17- 12.00 मी0 से अधिक ऊँचे समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित भवनों में नियमानुसार भूकम्परोधी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

18- अस्पताल, नर्सिंग होम, होटल, अतिथि ग्रह, विश्राम ग्रह, छात्रावास, महाविद्यालय, विश्व विद्यालय, प्राविधिक संस्थायें, प्रशिक्षण केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र, बैंक्वेट हॉल, बारात घर व 500 वर्ग मीटर से अधिकक्षेत्रफल के आवासीय भवनों में सोलर वाटर हीटर संयंत्र की स्थापना करनी होगी।

19- भवन उपयोग से पूर्व भवन सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं सम्पूर्ति प्रमाण पत्र से पूर्व समस्त विकास कार्य तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्वयं करानी होगी।

मानचित्र स्वीकृत पत्र पर अंकित शर्तों के अधीन मानचित्र निर्गत किया जाता है।

20- सन्दर्भित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड में 50 पेड़ प्रति हैक्टेअर के अनुसार लगाने होंगे।

21- भू-स्वामित्व की समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। किसी वाद विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वत: निरस्त माना जायेगा।

22- निर्माण की संरचना/सुरक्षा का दायित्व केवल निर्माणकर्ताओं का ही होगा। प्राधिकरण पर किसी प्रकार का प्रतिकर बावत दावा पेश नहीं किया जायेगा।

23- शपथ पत्र अनुसार हिन्डन एरोडोम का एन.ओ.सी. तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा बिल्डिंग की हाईड 20 मीटर से अधिक नहीं होगी तथा एन.ओ.सी. अप्राप्त की स्थिति में मानचित्र में 20 मीटर तक की स्वीकृति मानी जायेगी।

24- प्रस्तुत डवलपर्स एग्रीमेंट एवं सिक्योरिटी बॉण्ड का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। अन्यथा मानचित्र स्वत: निरस्त माना जायेगा।

25- प्रदूषण विभाग की एन.ओ.सी. तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा स्वीकृत मानचित्र निरस्त कर दिया जायेगा।

26- नगर निगम, ग्राम समाज, सरकारी भूमि, नाली चकरोड की भूमि पर कोई भी निर्माण कार्य/ विकास कार्य नहीं किया जायेगा।

27- प्रस्तुत ई.डब्लू.एस./ एल.आई.जी. हेतु प्रस्तुत बैंक गारण्टी की वैधता अवधि समाप्त होने से पूर्व स्वयं बढ़वाकर प्रस्तुत करनी होगी।

28- इस कार्यालय के पत्र संख्या 230/मा.प्लान/13 दिनांक 16.01.13 में उल्लेखित समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

<u>मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा /मानचित्र स्वीकृति पत्र के साथ संलग्न समस्त शर्तों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा।</u>

संलग्नक : 1. एक सैट स्वीकृत मानचित्र।

MYN 13/3/13
मुख्य वास्तुविद् एवं नगर नियोजक
गा0वि0प्राधिकरण
गाजियाबाद

पत्रांक : एमपी/ दिनांक

प्रतिलिपि : प्रवर्तन खण्ड को स्वीकृत मानचित्रसहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य वास्तुविद् एवं नगर नियोजक